

प्रपत्र- 2.3

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत पाली जमन सिंह के मकान से पाली होते हुए लीमा तक 3.500 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक **16.03.2016** को प्रश्नगत परियोजना के लिये वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री धन सिंह कपकोटी राजस्व विभाग की ओर से श्री ~~कुन्दर सिंह~~ प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री प्रकाश लाल सहायक अभियन्ता एवं श्री दिनेश चन्द्र कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वनभूमि/नापभूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वनभूमि 0.00 है०, सिविल एवं सोयम वनभूमि 1.800 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है० एवं नापभूमि 1.350 है० प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्ताव विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरक्षण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से पाली एवं लीमा व 214जनसंख्या लाभान्वित होगी।

आवेदित वनभूमि में 7.5 वृक्षों व नापभूमि 0.0 वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना अपेक्षित हो).....

ह०/-

(प्रयोजिता एजेंसी)

निर्माण खण्ड, लो० नि० कि०

कपकोट (बागेश्वर) सहायक अभियन्ता

ह०/-

निर्माण खण्ड लो० नि० कि०

कपकोट

(जिलाधिकारी)

जिलाधिकारी
बागेश्वर

ह०/-

(सम्बन्धित उप जिलाधिकारी)

तहसीलदार
कपकोट

ह०/-

(राजस्व विभाग का प्रतिनिधि)

ह०/-

(प्रमाणित करने वाला अधिकारी)

प्रमाणित करने वाला अधिकारी
बागेश्वर जिला प्रशासन
बागेश्वर

ह०/-

ह०/-

(ग्राम प्रधान/ वन पंचायत सरपंच)

उप जिलाधिकारी
कपकोट (बागेश्वर)